NAME	PLACE	DATE
Dainik Navjoyti	Bhilwara	20.07.2018

आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सीआईएन: **L17115RJ1960PLC008216**

पंजीकृत कार्यालयः खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान

फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479

कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841

ईमेल: rswm.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइट: www.rswm.in

RSWM Limited
an LNJ Bhilwara Group Company

अंशधारकों हेतु सूचना

अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) खाता में हस्तांतरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार)

कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम 2016) के प्रावधानों एवं तत्पश्चात् संशोधित के अनुपालन में अंशधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है। आईईपीएफ नियम 2016 में, अन्य मामलों के अतिरिक्त, ऐसे सभी अंशों जिनके सम्बन्ध में लगातार गत् सात बर्षों लाभांश की अदायगी अथवा अंशधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्रावधान शामिल हैं।

अतः ऐसे सभी अंतर्निहित अंशों को, जिनके सम्बन्ध में गत् 7 (सात) वर्षों, वित्तीय वर्ष 2010–11, से लाभांश की अदायगी/दावा नहीं किया गया है, को कथित नियम के अनुसार आईईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना है।

कंपनी ने ऐसे अंशधारकों, जिनके लाभांश का दावा गत् (7) सात वर्षों से नहीं किया गया है, को शीघ्र लाभांश का दावा करने हेतु सलाह देते हुए, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर, व्यक्तिगत सूचना प्रेषित की जा चुकी है। कंपनी ने ऐसे सभी अंशधारकों का पूर्ण विवरण, उनका नाम, फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी सहित, अपनी वेबसाइट अर्थात् www.rswm.in पर प्रस्तुत कर दिया है।

तदनुसार, संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वे अपने सभी लाभांश का दावा नियत तिथि से पूर्व कर लें। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु गैर–दावाकृत अंतिम लाभांश **29 अक्टूबर, 2018** को हस्तांतरण हेतु देय हो जाएगा तथा 28 नवम्बर 2018 अथवा उसके पूर्व हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यदि कंपनी/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को अंशधारकों से कोई संवाद प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी ऐसे अंशों को आईईपीएफ के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने हेतु बाध्य होगी। अंशधारक ध्यान में रखें कि भौतिक अंशों के हस्तांतरण के मामले में कंपनी डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी और आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए डिपॉजिटरी को इन्हें डीमैटेरियलाइज करने हेतु सूचित करेगी और डीमैट प्रकार के अंशों के सम्बन्ध में, यह डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) की मदद से सीधे आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी एकत्रित लाभों सहित (राइट्स इशू के अतिरिक्त), यदि हो, आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, पुनः दावा कर के प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, अंशधारक रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
(यूनिटः आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड)
एफ–65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज –1, नई दिल्ली–110 020
फोन नंबर 011–41406149–52, फैक्स नंबर 011–41709881
ईमेल आईडीः helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

कृते **आर एस डब्लू एम लिमिटेड**

दिनांक : 19 जुलााई 2018
स्थान : नोएडा (उ.प्र.)

सुरेन्दर गुप्ता
कम्पनी सचिव